



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072023-247106
CG-DL-E-06072023-247106

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]
No. 20]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2023/आषाढ़ 15, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2023/ASHADHA 15, 1945

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

आ.अ. 20(अ).—यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 06 जुलाई, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

क्र. सं.	राज्य (1)	भरे जाने वाले स्थान (2)
1.	गोवा	01
2.	गुजरात	03
3.	पश्चिम बंगाल	06

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 13 जुलाई, 2023 (गुरुवार)
 (ख) नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख - 14 जुलाई, 2023 (शुक्रवार)
 (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 17 जुलाई, 2023 (सोमवार)
 (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 24 जुलाई, 2023 (सोमवार), और
 (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 26 जुलाई, 2023 (बुधवार), और

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[फा. सं. 318/रा.स.-मल्टी/2023 (1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2023

O.N. 20(E).—Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 06th July, 2023 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

Sl. No.	Name of State (1)	No. of members retiring (2)
1.	Goa	01
2.	Gujarat	03
3.	West Bengal	06

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election;

- (a) the 13th July, 2023 (Thursday), as the last date for making nominations;
 (b) the 14th July, 2023 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 (c) the 17th July, 2023 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 (d) the 24th July, 2023 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 (e) the 26th July, 2023 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the above mentioned State on the date specified above for the election.

[F. No. 318/CS-Multi/2023(1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.